समाचार

लाकडाउन में खोला आटा चक्की दुकान, लगाया गया अर्थदण्ड

(निर्धारित समय के बाद भी फल, सब्जी विक्रय पर हुई कार्यवाही)

(विभिन्न जोन में लाकडाउन उल्लंघन पर वसूला गया 8700 रू. जुर्माना)

कोरबा 24 अप्रैल 2021– लाकडाउन के दौरान निहारिका स्थित सर्वमंगला आटा चक्की एवं एक अन्य दुकान के खुले पाए जाने पर निगम अमले ने कार्यवाही करते हुए 02–02 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया, वहीं विभिन्न जोनांतर्गत निर्धारित समय के पश्चात भी फल, सब्जी का विक्रय करते पाए जाने पर ठेला संचालकों पर जुर्माने की कार्यवाही की गई एवं उन्हें कड़ी हिदायत दी गई कि वे निर्धारित समय तक ही घूम–घूमकर फल, सब्जी का विक्रय करें।

कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार के नियंत्रण के मद्देनजर कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल द्वारा जिले में लाकडाउन प्रभावशील किया गया है किन्तु कुछ दुकानदारों द्वारा इस अवधि में भी दुकानें खोलकर लाकडाउन का उल्लंघन किया जाता है। आयुक्त श्री एस.जयवर्धन ने निगम अमले को सजगता के साथ कार्य करते हुए लाकडाउन के नियमों का पूर्ण रूप से पालन किए जाने के निर्देश दिए हैं। निगम अमले द्वारा सम्पूर्ण निगम क्षेत्र में लाकडाउन का पालन कराने हेतु कड़ी नजर रखी जा रही है तथा जहां कहीं भी दुकानें खुली पायी जाती है तो अर्थदण्ड की कार्यवाही एवं दुकान बंद कराने के साथ–साथ दुकानदारों को कड़ी हिदायत दी जा रही है। इसी कड़ी में आज कोसाबाड़ी जोनांतर्गत निहारिका क्षेत्र में सर्वमंगला फ्लोरमिल एवं एक अन्य दुकान खुली पायी गई, जिस पर निगम अमले ने 02–02 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया, दुकानों को बंद कराया तथा उन्हें कड़ी हिदायत दी कि यदि उनके द्वारा दुकान खोलकर लाकडाउन का उल्लंघन किया जाता है तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार निगम क्षेत्र के कुछ स्थानों पर निर्धारित समय के पश्चात भी फल, सब्जी का विक्रय किया जा रहा था, जिस पर भी निगम अमले द्वार कार्यवाही की गई तथा उन पर अर्थदण्ड लगाते हुए कड़ी हिदायत दी।

लाकडाउन उल्लंघन पर 8700 रू. लगा जुर्माना–लाकडाउन के उल्लंघन पर आज निगम के विभिन्न जोनांतर्गत 8700 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। वहीं कोसाबाड़ी जोनांतर्गत 4400 रूपये, दर्री जोनांतर्गत 2500 रूपये, टी.पी.नगर जोनांतर्गत 800 रूपये, बालको जोनांतर्गत 1000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया तथा लाकडाउन का पूर्ण रूप से पालन किए जाने के संबंध में कड़ी हिदायत दी गई।